

राजस्थान विनियोग (सं. 1) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम .- इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं.1) अधिनियम, 2015 है।

2. वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 19,79,56,851/- रु. -- प्राधिकृत किया .- -- स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए, 31 मार्च, 2011 -- समाप्त -- वर्ष -- अनुक्रम में -- विभिन्न प्रभारों -- लिए राज्य की समेकित निधि में ; -- उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों अतिरिक्त संदत्त, -- स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों ; अनधिक -- मिलाकर मात्र 19,79,56,851/- रु. (उन्नीस -- उन्नासी छप्पन -- इक्यावन रुपये) की कतिपय राशियों ; विनियोजन 31 मार्च, 2011 समाप्त वर्ष ; संबंधित उक्त -- लिए किया एतद्वारा प्राधिकृत किया

(Authorised English Version)

CONFIDENTIAL
Bill No. 1 of 2015

THE RAJASTHAN APPROPRIATION (NO. 1) BILL, 2015
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A
Bill

to authorise the appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2010-2011 ended on the 31st March, 2011 in excess of the amount granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. **Short title.**- This Act may be called the Rajasthan Appropriation (No. 1) Act, 2015.

2. **Authorisation of Rs. 19,79,56,851/- out of the Consolidated Fund of the State for the financial year 2010-2011.**- Certain further sums not exceeding those specified in Column 2 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of **Rs. 19,79,56,851/-** (Rupees Nineteen crore seventy nine lacs fifty six thousand eight hundred fifty one) only paid from and out of the Consolidated Fund of the State towards defraying the several charges which come in course of payment during the year ended on the 31st day of March, 2011 in respect of the services specified in Column 1 of the Schedule are hereby authorised to be appropriated for such services in relation to the year ended on the 31st March, 2011 in excess of the amount granted for those services and for the said year.

THE SCHEDULE

(2)

(See section 2)

(रुपयों में)

(In Rupees.)

प्रयोजन Services and Purposes	अतिरिक्त विनियोग : निम्नलिखित से नहीं : Excess Appropriation not exceeding to				
	दत्तमत Voted		प्रभृत Charged		Total
	राजस्व Revenue	Capital	राजस्व Revenue	Capital	
समेकित Consolidated Fund					
अनुदानों : माँगें Demands for Grants					
संख्या - 13 (आबकारी)					
2039 - राज्य उत्पाद शुल्क State Excise	-	-	54,783	-	54,783
Total	-	-	54,783	-	54,783
संख्या - 15 (पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ)					
2071 - पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति हित Pension and other retirement benefits	-	-	2,64,990	-	2,64,990
Total	-	-	2,64,990	-	2,64,990
संख्या - 20 ()					
4216 - परिव्यय Capital outlay on housing	-	2,15,69,325	-	-	2,15,69,325
Total	-	2,15,69,325	-	-	2,15,69,325
संख्या - 27 ()					
2215 - जलपूर्ति व Water Supply and Sanitation	15,69,53,452	-	-	-	15,69,53,452
Total	15,69,53,452	-	-	-	15,69,53,452
संख्या - 28 (ग्रामीण विकास : विशेष कार्यक्रम)					
2501 - ग्राम विकास : विशेष कार्यक्रम Special Programmes for Rural Development					
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम Other Rural Development Programmes	1,90,10,903	-	-	-	1,90,10,903
2810 - अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत Non-Conventional Sources of Energy					
Total	1,90,10,903	-	-	-	1,90,10,903

THE SCHEDULE

(2)
(See section 2)

(रुपयों में)
(In Rupees.)

प्रयोजन Services and Purposes	अतिरिक्त विनियोग र निम्नलिखित से नहीं । Excess Appropriation not exceeding to				Total
	दत्तमत Voted		प्रभृत Charged		
	राजस्व Revenue	Capital	राजस्व Revenue	Capital	
संख्या - 38 (संरक्षण) 4402 - संरक्षण परिव्यय Capital outlay on soil and water conservation	-	1,03,398	-	-	1,03,398
4702 - परिव्यय Capital outlay on minor irrigation	-	1,03,398	-	-	1,03,398
Total					
- समेकित-1 Total - Consolidated Fund	17,59,64,355	2,16,72,723	3,19,773	-	19,79,56,851

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, इसके साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय के और विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों के नियमितीकरण हेतु अपेक्षित धनराशियों का, उक्त समेकित निधि में से विनियोजन किये जाने का उपबन्ध करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204(1) के अनुसरण में, पुरःस्थापित किया जाता है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Bill is introduced in pursuance of Article 204(1) of the Constitution of India read with Article 205 thereof to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of the moneys required for regularisation of the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants made by the Legislative Assembly for the financial year 2010-2011 ending on the 31st day of March, 2011 as per Schedule appended to the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

संविधान : अनुच्छेद 207 खण्ड (1) (3) राज्यपाल की सिफारिश

संविधान अनुच्छेद 207 खण्ड (1) (3) प्रसंग में, में : द्वारा
राजस्थान विनियोग (. 1) विधेयक, 2015 राजस्थान विधान में प्रस्तुत प्रस्तावित
किये उक्त विधान द्वारा विचार किये की सिफारिश कर

राजस्थान विधान
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त राशियों के विनियोजन प्राधिकृत क विधेयक।

A
Bill

to authorise the appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2010-2011 ended on the 31st March, 2011 in excess of the amount granted for those services and for that year.

(जैसाकि राजस्थान विधान में पुरःस्थापित किया)
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

पृथ्वी ,
विशिष्ट स
Prithvi Raj,
Special Secretary.

(वसुन्धरा , प्रभारी मंत्री)
(VASUNDHARA RAJE, **Minister Incharge**)